समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ

e-mail-meso.seraikella@gmail.com & dwo.seraikella@gmail.com

प्रेषक,

पत्रांक–301 / आई0टी0डी0ए0

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला–खरसावाँ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य / संस्था प्रधान / प्रधानाध्यापक
सरायकेला–खरसावाँ।

सरायकेला, दिनांक–19/02/20

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ई–कल्याण पोर्टल पर छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदनों का ससमय त्रृटि का निराकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में पोस्ट मैट्रिक झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडी जाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के प्रावाधानों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2019–20 में जिला अन्तर्गत संस्थान / महाविद्यालयों के द्वारा आमंत्रित ई–कल्याण पोर्टल पर छात्र–छात्राओं के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपलोड किये गये सभी दस्तावेजो का जाँचोपरांत जिला कल्याण कार्यालय द्वारा विभागीय निदेशानुसार शर्तो के निमित्त पाये गये छात्र–छात्राओं का आवेदन Approval किया गया है एवं जिन छात्र–छात्राओं के द्वारा Document गलत भरा गया है। वैसे छात्रों का DA_Level से Pending कर 15 दिनों के लिए दस्तावेजो को सही कर Upload करने हेतु Edit Option खोल दिया गया था, परन्तु कई छात्र–छात्राओं द्वारा समय सीमा के भीतर गलत दस्तावेजो को सही नहीं किये जाने के कारण 15 दिनों का Edit Option Close हो गया था। वैसे शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्राओं के लिए दिनांक–04.02.2020 से 15 दिनों के लिए Edit Option खोल दिया गया है। जिसकी सूचना दिनांक–29.01.2020 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों की बैठक में निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने कॉलेज / शिक्षण संस्थानों का Da_Level से Pending छात्र–छात्राओ का त्रृटि का निराकरण कर ससमय सही दस्तावेजों को अपलोड कराना सुनिश्चित करेगे। साथ ही छात्र–छात्राओं का Pending से सम्बधित त्रृटि का निराकरण ससमय नहीं होने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन

19/2/2020

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला–खरसावाँ।